

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 165/2008

तारीख रजू:- 22.09.2008

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुरेश कुमार यादव

R.A.S.

रामखिलाडी पुत्र श्री गिर्राज जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील हिण्डौन सिटी
जिला करौली ----- वादी

बनाम

1. हरख्याल | पिसरान नवलसिंह | जाति जाट निवासी शेरपुर
2. धूजी
3. बटरा
4. करणसिंह | तहसील हिण्डौन सिटी
5. मु०किस्तूरी बेबा नवलसिंह | जिला करौली
6. मौजकौर पुत्री नवलसिंह पत्नि श्यामलाल जाति जाट हाल निवासी कलसाडा
तहसील बयाना जिला भरतपुर
7. रूपन्ती पुत्री नवलसिंह पत्नि जगदीश जाति जाट निवासी हाल ढहरा
तहसील हिण्डौन सिटी
8. रामस्वरूप | पिसरान सम्पत जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील
9. लच्छी | हिण्डौन सिटी जिला करौली
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौनसिटी-प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा

एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :- 1. श्री पुरुषोत्तमलाल गोयल एडवोकेट वादी

निर्णय

दिनांक :- 11.02.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी का दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 23.04.2012 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त शेरपुर को मौका कमिश्नर नियुक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 339 रकबा 0.06 है०, 341 रकबा 0.23 है०, 355 रकबा 0.19 है०, 359 रकबा 0.01 है०, 360 रकबा 0.38 है०, 361 रकबा 0.40 है०, 364 रकबा 0.05 है०, 375 रकबा 0.02 है०, 381/1270 रकबा 0.04 है०, 383 रकबा 0.31 है०, 385 रकबा 0.30 है०, 630 रकबा 0.25 है०, 631/1271 रकबा 0.02 है०, 674 रकबा 0.10 है०, 675 रकबा 0.02 है०, 677 रकबा 0.35 है०, 679 रकबा 0.29 है०, 683 रकबा 0.35 है०, 690 रकबा 0.01 है०, 693 रकबा 0.36 है०, 694 रकबा 0.01 है०, 742 रकबा 0.16 है०, 867 रकबा 0.17 है० कुल किता 23 कुल रकबा 4.13 है० वाके ग्राम शेरपुर में वादी हि०1/2 का,

प्रतिवादी सं० 1 ता 4 हि०६/१४, प्रतिवादी सं० 5 हि० १/१४ के खातेदार तथा खसरा नम्बर 367 रकबा 0.34 है०, 735 रकबा 0.18 है०, 736 रकबा 0.06 है० कुल किता 3 कुल रकबा 0.58 है० ग्राम शेरपुर में वादी हि०१/४ का, प्रतिवादी सं० 1 ता 7 हिस्सा १/४ के, प्रतिवादी सं० 8 व 9 हिस्सा १/२ के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने पर उपरोक्त भूमि का बंटवारा स्कीम पक्षकारान की मौजूदगी में मौके पर अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा अनुसार तैयार कर दो प्रतियों में मय नक्शा ट्रेस के न्यायालय में पेश करें।

उक्त आदेश की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त शेरपुर ने दिनांक 12.06.2017 को बंटवारा स्कीम तैयार कर तहसीलदार हिण्डौन के समक्ष पेश की जिसे तहसीलदार हिण्डौन ने पत्रांक एलआर/ 2017/691 दिनांक 13.06.2017 से उक्त प्रकरण में बंटवारा स्कीम इस न्यायालय में पेश की है।

वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बंटवारा स्कीम पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस बंटवारा स्कीम सही होना अवगत कराया है तथा मुताबिक बंटवारा स्कीम वादी का दावा फाईनल डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। बंटवारा स्कीम दिनांक 12.06.2017 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 359 रकबा 0.01 है०, 360 रकबा 0.38 है०, 361 रकबा 0.40 है०, 674 रकबा 0.10 है०, 693 रकबा 0.36 है०, 694 रकबा 0.01 है०, 735/3 रकबा 0.04 है०, 736/3 रकबा 0.02 है० कुल किता 10 कुल रकबा 1.62 है० वाके ग्राम शेरपुर तहसील सूरौठ रामखिलाडी पुत्र गिराज जाति जाट निवासी शेरपुर के हिस्से में आयी है।

खसरा नम्बर 339 रकबा 0.06 है०, 341 रकबा 0.23 है०, 355 रकबा 0.19 है०, 364 रकबा 0.05 है०, 375 रकबा 0.02 है०, 381/1270 रकबा 0.04 है०, 383 रकबा 0.31 है०, 385 रकबा 0.30 है०, 630 रकबा 0.25 है०, 631/1271 रकबा 0.02 है०, 675 रकबा 0.07 है०, 742 रकबा 0.16 है०, 867 रकबा 0.17 है० कुल किता 13 कुल रकबा 1.87 है० वाके ग्राम शेरपुर हरख्याल धूजी बटरा करनसिंह पि० नवलसिंह हि०६/७ किस्तूरी बेबा नवलसिंह हि०१/७ जाति जाट निवासी शेरपुर बटरा का हिस्सा राहिन बीआरकेजीबी शाखा हिण्डौन व करनसिंह का हिस्सा राहिन पीएनबी शाखा शेरपुर के हिस्से में आयी हैं।

खसरा नम्बर 677 रकबा 0.35 है०, 683 रकबा 0.35 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 है० बटरा पुत्र नवलसिंह राहिन बीआरकेजीबी हिण्डौन करणसिंह पुत्र नवलसिंह जाति जाट सा०देह राहिन पीएनबी शेरपुर के हिस्से में आयी है।

खसरा नम्बर 367/2 रकबा 0.14 है० ग्राम शेरपुर करनसिंह पुत्र नवलसिंह जाति जाट राहिन पीएनबी शेरपुर के हिस्से में आयी है।

खसरा नम्बर 367/3 रकबा 0.03 है० ग्राम शेरपुर बटरा पुत्र नवलसिंह, मौजकौर पुत्री नवलसिंह जाति जाट सा०देह बटरा का हिस्सा राहिन बीआरकेजीबी हिण्डौन के हिस्से में आयी है।

खसरा नम्बर 367/1 रकबा 0.17 है, 735 /1 रकबा 0.09 है, 736/1 रकबा 0.03 है कुल किता 3 कुल रकबा 0.29 है वाके ग्राम शेरपुर रामस्वरूप लच्छी पि० सम्पत जाति जाट निवासी शेरपुर के हिस्से में आयी है।

खसरा 735 /2 रकबा 0.05 है, 736/2 रकबा 0.01 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.06 है वाके ग्राम शेरपुर हरख्याल धूजी बटरा करनसिंह पि० नवलसिंह किस्तूरी बेबा नवलसिंह मौजकौर रूपन्ती पुत्रियाँ नवलसिंह जाति जाट सा०देह बटरा का हिस्सा राहिन बीआरकेजीबी हिण्डौन के हिस्से में आयी है।


उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि भू-अभिलेख निरीक्षक वृत शेरपुर ने मुताविक प्राथमिक डिक्री के अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार की है। जिसके अनुसार वादी का दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा फाईनल डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 359 रकबा 0.01 है, 360 रकबा 0.38 है, 361 रकबा 0.40 है, 674 रकबा 0.10 है, 693 रकबा 0.36 है, 694 रकबा 0.01 है, 735/3 रकबा 0.04 है, 736/3 रकबा 0.02 है कुल किता 10 कुल रकबा 1.62 है वाके ग्राम शेरपुर तहसील सूरौठ का रामखिलाडी पुत्र गिर्राज जाति जाट निवासी शेरपुर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 339 रकबा 0.06 है, 341 रकबा 0.23 है, 355 रकबा 0.19 है, 364 रकबा 0.05 है, 375 रकबा 0.02 है, 381/1270 रकबा 0.04 है, 383 रकबा 0.31 है, 385 रकबा 0.30 है, 630 रकबा 0.25 है, 631/1271 रकबा 0.02 है, 675 रकबा 0.07 है, 742 रकबा 0.16 है, 867 रकबा 0.17 है कुल किता 13 कुल रकबा 1.87 है वाके ग्राम शेरपुर का हरख्याल धूजी बटरा करनसिंह पि० नवलसिंह हि० 6/7 किस्तूरी बेबा नवलसिंह हि० 01/7 जाति जाट निवासी शेरपुर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 677 रकबा 0.35 है, 683 रकबा 0.35 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 है ग्राम शेरपुर का बटरा पुत्र नवलसिंह हिस्सा 1/2, करणसिंह पुत्र नवलसिंह हिस्सा 1/2 जाति निवासी शेरपुर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 367/2 रकबा 0.14 है ग्राम शेरपुर का करनसिंह पुत्र नवलसिंह जाति जाट निवासी शेरपुर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 367/3 रकबा 0.03 है ग्राम शेरपुर का बटरा पुत्र नवलसिंह, मौजकौर पुत्री नवलसिंह जाति जाट निवासी शेरपुर को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 367/1 रकबा 0.17 है, 735 /1 रकबा 0.09 है, 736/1 रकबा 0.03 है कुल किता 3 कुल रकबा 0.29 है वाके ग्राम शेरपुर का रामस्वरूप लच्छी पि० सम्पत जाति जाट निवासी शेरपुर को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा 735 /2 रकबा 0.05 है, 736/2 रकबा 0.01 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.06 है वाके ग्राम शेरपुर का हरख्याल धूजी बटरा करनसिंह पि० नवलसिंह किस्तूरी बेबा नवलसिंह मौजकौर रूपन्ती पुत्रियाँ नवलसिंह जाति जाट

निवासी शेरपुर को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मुताविक वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त घोषित किये गये खातेदारों के हिस्से पर दर्ज रहन मुर्तहिन का जो नोट अंकित है वही नोट उनके हिस्से में आयी आराजीयात पर उनके वर्तमान हिस्से पर बदस्तूर दर्ज किया जावे।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 359 रकबा 0.01 है०, 360 रकबा 0.38 है०, 361 रकबा 0.40 है०, 674 रकबा 0.10 है०, 693 रकबा 0.36 है०, 694 रकबा 0.01 है०, 735/3 रकबा 0.04 है०, 736/3 रकबा 0.02 है० कुल किता 10 कुल रकबा 1.62 है० वाके ग्राम शेरपुर तहसील सूरौठ में वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत प्रतिवादीगण ना तो स्वंग करें और ना ही किसी अन्य से करावें। उक्त भूमि को वादी को शान्ति पूर्वक काश्त करने दें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे वादी के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़े। बंटवारा स्कीम के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय मय नक्शा ट्रेस व फाईनल डिक्री की प्रति के साथ तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार फाईनल पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(11.02.2021)
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

फाईनल डिक्ली मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन सिटी जिला करौली
इजलास श्री सुरेश कुमार यादव, R.A.S.

उनवान

रामखिलाडी पुत्र श्री गिराज जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील हिण्डौन सिटी
जिला करौली ----- वादी

बनाम

1. हरख्याल | पिसरान नवलसिंह | जाति जाट निवासी शेरपुर
2. धूजी
3. बटरा | तहसील हिण्डौन सिटी
4. करणसिंह | जिला करौली
5. मु0किस्तूरी बेबा नवलसिंह
6. मौजकौर पुत्री नवलसिंह पत्नि श्यामलाल जाति जाट हाल निवासी कलसाडा
तहसील बयाना जिला भरतपुर
7. रूपन्ती पुत्री नवलसिंह पत्नि जगदीश जाति जाट निवासी हाल ढहरा
तहसील हिण्डौन सिटी
8. रामस्वरूप | पिसरान सम्पत जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील
9. लच्छी | हिण्डौन सिटी जिला करौली
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौनसिटी-प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा
एवं स्थायी निषेधाज्ञा


मुकदमा नं0 165/2008

यह मुकदमा नं0146/2014 आज वास्ते इनफिसाल कतई, रूबरू हमारे हाजिरी श्री पुरुषोत्तम लाल गोयल एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के अनुसार फाईनल डिक्ली दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 359 रकबा 0.01 है0, 360 रकबा 0.38 है0, 361 रकबा 0.40 है0, 674 रकबा 0.10 है0, 693 रकबा 0.36 है0, 694 रकबा 0.01 है0, 735/3 रकबा 0.04 है0, 736/3 रकबा 0.02 है0 कुल कित्ता 10 कुल रकबा 1.62 है0 वाके ग्राम शेरपुर तहसील सूरौठ का रामखिलाडी पुत्र गिराज जाति जाट निवासी शेरपुर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 339 रकबा 0.06 है0, 341 रकबा 0.23 है0, 355 रकबा 0.19 है0, 364 रकबा 0.05 है0, 375 रकबा 0.02 है0, 381/1270 रकबा 0.04 है0, 383 रकबा 0.31 है0, 385 रकबा 0.30 है0, 630 रकबा 0.25 है0, 631/1271 रकबा 0.02 है0, 675 रकबा 0.07 है0, 742 रकबा 0.16 है0, 867 रकबा 0.17 है0 कुल कित्ता 13 कुल रकबा 1.87 है0 वाके

७

ग्राम शेरपुर का हरख्याल धूजी बटरा करनसिंह पि० नवलसिंह हि० ६/७ किरतूरी बेबा नवलसिंह हि० ०१/७ जाति जाट निवासी शेरपुर को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर ६७७ रकबा ०.३५ है०, ६८३ रकबा ०.३५ है० कुल किता २ कुल रकबा ०.७० है० ग्राम शेरपुर का बटरा पुत्र नवलसिंह हिस्सा १/२, करणसिंह पुत्र नवलसिंह हिस्सा १/२ जाति निवासी शेरपुर को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर ३६७/२ रकबा ०.१४ है० ग्राम शेरपुर का करनसिंह पुत्र नवलसिंह जाति जाट निवासी शेरपुर को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर ३६७/३ रकबा ०.०३ है० ग्राम शेरपुर का बटरा पुत्र नवलसिंह, मौजकौर पुत्री नवलसिंह जाति जाट निवासी शेरपुर को बहिस्सा बराबर का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर ३६७/१ रकबा ०.१७ है०, ७३५ /१ रकबा ०.०९ है०, ७३६/१ रकबा ०.०३ है० कुल किता ३ कुल रकबा ०.२९ है० वाके ग्राम शेरपुर का रामस्वरूप लच्छी पि० सम्पत जाति जाट निवासी शेरपुर को बहिस्सा बराबर का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा खसरा ७३५ /२ रकबा ०.०५ है०, ७३६/२ रकबा ०.०१ है० कुल किता २ कुल रकबा ०.०६ है० वाके ग्राम शेरपुर का हरख्याल धूजी बटरा करनसिंह पि० नवलसिंह किस्तूरी बेबा नवलसिंह मौजकौर रूपन्ती पुत्रियाँ नवलसिंह जाति जाट निवासी शेरपुर को बहिस्सा बराबर का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा मुताविक वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त घोषित किये गये खातेदारों के हिस्से पर दर्ज रहन मुर्तहिन का जो नोट अंकित है वही नोट उनके हिस्से में आयी आराजीयात पर उनके वर्तमान हिस्से पर बदस्तूर दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर ३५९ रकबा ०.०१ है०, ३६० रकबा ०.३८ है०, ३६१ रकबा ०.४० है०, ६७४ रकबा ०.१० है०, ६९३ रकबा ०.३६ है०, ६९४ रकबा ०.०१ है०, ७३५/३ रकबा ०.०४ है०, ७३६/३ रकबा ०.०२ है० कुल किता १० कुल रकबा १.६२ है० वाके ग्राम शेरपुर तहसील सूरौठ में वादी के कब्जा काशत में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करावें। उक्त भूमि को वादी को शान्ति पूर्वक काशत करने दें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे वादी के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़े। बंटवारा स्कीम के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय मय नक्शा ट्रेस व फाईनल डिक्री की प्रति के साथ तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ११.०२.२०२१ को यह डिक्री जारी की गई।


 ११-०२-२०२१
 सुरेश कुमार यादव
 उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन जिला करौली